भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2356

13 मार्च, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

शहरी कामगारों के बीच गरीबी का स्तर

2356. श्री सुदामा प्रसादः

क्या ***आवासन और शहरी कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी कामगारों के बीच गरीबी के स्तर को चिह्नित करने के लिए सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है साथ ही इसमें कौन-कौन से अभिकरण शामिल हैं तथा इस संबंध में क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) सर्वेक्षण किए गए शहरों का ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा सर्वेक्षण के परिणामों के आधार पर शहरी गरीबी से निपटने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं साथ ही किफायती आवास, सामाजिक सुरक्षा और रोजगार सृजन के लिए लक्षित नीतियों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) क्या सरकार का सर्वेक्षण को और अधिक शहरों तक विस्तारित करने का विचार है और यदि हां, तो शहरों के नाम क्या है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा नियत की गई है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) : यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि 'भूमि' और 'कॉलोनीकरण' राज्य के विषय हैं और इसके अंतर्गत योजनाओं/ कार्यक्रमों का कार्यान्वयन राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की जिम्मेदारी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) "दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" के तहत केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

डीएवाई-एनयूएलएम मिशन दस्तावेज के अनुसार, डीएवाई-एनयूएलएम का लक्ष्य राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे चिन्हित शहरी जनसंख्या है। इस कवरेज

को अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, दिव्यांगों आदि जैसे वंचित समूहों के परिवारों को शामिल करने के लिए व्यापक बनाया जा सकता है, बशर्ते कि उपर्युक्त शहरी गरीब जनसंख्या का अधिकतम 25 प्रतिशत हिस्सा इसमें शामिल हो। तदनुसार, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/शहरी स्थानीय निकाय शहरी गरीबों की पहचान के लिए सर्वे कर रहे हैं। डीएवाई-एनयूएलएम 30 सितंबर, 2024 तक क्रियान्वित था।

(ग) और (घ): नागरिकों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25 जून 2015 से प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के अंतर्गत देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चार घटकों अर्थात लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), स्व-स्थाने स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) के माध्यम से केंद्रीय सहायता प्रदान करके दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र सहित राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता करता है।

इसके अलावा, डीएवाई-एनयूएलएम के कौशल एवं प्लेसमेंट (ईएसटीएंडपी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी गरीबों को बाजार-उन्मुख पाठ्यक्रमों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है, जिससे वे स्व-रोजगार स्थापित करने में सक्षम हो सकें। इसके अलावा, स्व-रोजगार कार्यक्रम (एसईपी) घटक शहरी गरीब व्यक्तियों/समूहों/एसएचजी को सूक्ष्म उद्यमों के लाभकारी स्व-रोजगार उपक्रमों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

इसके अलावा, पीएम पथ-विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना के हिस्से के रूप में, स्वनिधि से समृद्धि (एसएसएस), भारत सरकार की आठ कल्याणकारी योजनाओं के तहत 1.25 करोड़ से अधिक स्वीकृतियां देकर 44.5 लाख से अधिक पथ-विक्रेताओं और उनके परिवारों का उत्थान किया है।

*****